

WE ARE YOUR DOL



Department
of Labor

बेरोज़गार बीमा के बारे में एक क्लेमेंट की मदद करना

आपको क्या जानकारी होनी चाहिए

कई बार एक व्यक्ति को बेरोज़गारी बीमा लाभों के लिए एक हेल्पर की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति जिसे लाभ प्राप्त होते हैं - उसे "क्लेमेंट" कहा जाता है - जिसे एक क्लेम फाइल करने, साप्ताहिक लाभ क्लेम करने, या प्रश्नों के उत्तर पाने में मदद की आवश्यकता हो सकती है। एक हेल्पर एक मित्र, रिश्तेदार, कोई अधिकृत व्यक्ति या अन्य वकील हो सकता है।

क्लेमेंट को कई कारणों से हमारे टेलीफोन क्लेम सेंटर या वेबसाइट का उपयोग करने में परेशानी हो सकती है, जैसे:

- वे सही तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल पाते
- वे अंग्रेजी भाषा नहीं समझते
- वे सही तरीके से पढ़ नहीं पाते
- वे दिव्यांग हैं, जैसे सुनने में कमी या बोलने में समस्या

न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग ने हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए सभी की मदद हेतु कुछ कदम उठाए हैं। इनमें भाषा अनुवाद सेवाएं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

आप एक हेल्पर के रूप में क्या कर सकते हैं

आप क्लेमेंट के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं, और क्लेम फाइल करने और साप्ताहिक लाभों का क्लेम करने में मदद कर सकते हैं।

आपको याद रखना चाहिए कि आपको केवल क्लेमेंट और श्रम विभाग के कर्मचारियों के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए। किसी क्लेमेंट के लिए किसी दृष्टिकोण पर तर्क-वितर्क न करें या किसी क्लेमेंट के सवालों का जवाब उन्हें पूछने से पहले न दें।

क्लेमेंट को वह सबकुछ करना चाहिए जो वह कर सकता है। इसमें टेलीफोन क्लेम सेंटर से बातचीत करना शामिल है।

गोपनीयता और क्लेमेंट की व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN)

बेरोज़गारी बीमा लाभ के लिए आवेदन हेतु क्लेमेंट को एक PIN बनाना होगा। साप्ताहिक लाभों का क्लेम करने के लिए उन्हें उस PIN का उपयोग करना चाहिए।

यदि कोई क्लेमेंट अपना PIN दर्ज नहीं कर सकता है, तो वह आपको अपना पिन बता सकता है। हालांकि, हर बार जब आप टेलीफोन क्लेम सेंटर से संपर्क करते हैं या उनके लिए वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो क्लेमेंट को आपके साथ होना चाहिए।

जब आप टेलीफोन क्लेम सेंटर को कॉल करते हैं, तो ऑपरेटर पहले क्लेमेंट से बात करने के लिए कहेगा। वे क्लेमेंट से आपसे बात करने की अनुमति मांगेंगे। फिर वे आपसे ये सभी सवाल पूछेंगे:

- आपका नाम क्या है?
- आपका क्लेमेंट के साथ क्या संबंध है?
- आपको PIN कैसे प्राप्त हुआ?
- आपने इस PIN के साथ किन सेवाओं का उपयोग किया है?
- आपके उत्तर रिकॉर्ड किए जाएंगे

ऑपरेटर क्लेमेंट को बताएगा कि उनका हेल्पर जो करता है उसके लिए वे जिम्मेदार हैं। ऑपरेटर आप दोनों को याद दिलाएगा कि क्लेमेंट का PIN उनका इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। इसका अर्थ है कि जब आप उनके क्लेम के संबंध में कुछ भी करते हैं तो क्लेमेंट को आपके साथ होना चाहिए।

यदि आप क्लेमेंट की अनुपस्थिति में टेलीफोन क्लेम सेंटर को कॉल करते हैं, तो कर्मचारी आपको कहेंगे कि वे आपसे बात नहीं कर सकते। गोपनीयता नियम उन्हें क्लेमेंट के अलावा किसी और को क्लेम की जानकारी देने की अनुमति नहीं देते हैं। यह कानून है।

न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग से संपर्क करें

बेरोज़गारी बीमा लाभ के लिए आवेदन हेतु

dol.ny.gov/unemployment/unemployment-insurance-assistance वेबसाइट पर जाएं।

या सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक टोल-फ्री नंबर **888-209-8124** पर कॉल करें।

यदि आप एक वीडियो रिले सिस्टम या अन्य प्रकार की रिले सेवा का उपयोग करते हैं, तो अपने रिले ऑपरेटर से संपर्क करें और रिले ऑपरेटर से **888-783-1370** पर कॉल करने के लिए कहें।

साप्ताहिक लाभों का क्लेम करने के लिए (लाभों के लिए प्रमाणित)

labor.ny.gov/signin पर हमारी वेबसाइट पर जाएं।

या टोल फ्री नंबर **888-581-5812** पर कॉल करें।

यदि आप TTY/TDD का उपयोग करते हैं, तो **800-662-1220** पर एक रिले ऑपरेटर को कॉल कर और ऑपरेटर को **888-783-1370** पर कॉल करने के लिए कहें।

यदि आप एक वीडियो रिले सिस्टम या अन्य प्रकार की रिले सेवा का उपयोग करते हैं, तो अपने रिले ऑपरेटर से संपर्क करें और रिले ऑपरेटर से **888-783-1370** पर कॉल करने के लिए कहें।

बेरोज़गार बीमा के बारे में सामान्य प्रश्नों के लिए

मेल में प्राप्त क्लेमेंट हैंडबुक की जांच करें या labor.ny.gov/uihandbook पर ऑनलाइन जाएं।

हमारी वेबसाइट labor.ny.gov/ui/faq.shtm पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।

आपके क्लेम के बारे में विशिष्ट प्रश्न

हमें एक सुरक्षित संदेश भेजें। labor.ny.gov/signin पर अपने ऑनलाइन अकाउंट में साइन इन करें। अपने My Online Services (मेरी ऑनलाइन सेवा) पेज के ऊपरी दाएँ भाग में एनवलप आइकन पर क्लिक करें। अपना सन्देश लिखें और भेजें।

हमारे टेलीफ़ोन क्लेम सेंटर के टोल-फ़्री नंबर **888-209-8124** पर कॉल करें। मुख्य मेनू में, आपके द्वारा पहले ही फाइल किए जा चुके क्लेम के बारे में प्रश्न पूछने के लिए 5 दबाएं। यदि उनके पास आने वाली कॉल की संख्या अधिक है, तो आपको होल्ड पर रखा जा सकता है या कॉल बैक की पेशकश की जा सकती है।

यदि आप बधिर हैं और सुनने में समस्या है और आप TTY/TDD का उपयोग करते हैं, तो **800-662-1220** पर एक रिले ऑपरेटर को कॉल कर और ऑपरेटर को **888-783-1370** पर कॉल करने के लिए कहें।

यदि आप एक वीडियो रिले सिस्टम या अन्य प्रकार की रिले सेवा का उपयोग करते हैं, तो अपने रिले ऑपरेटर से संपर्क करें और रिले ऑपरेटर से **888-783-1370** पर कॉल करने के लिए कहें।

यदि आपके अपनी NY.gov ID के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच **800-833-3000** पर कॉल करें। श्रम संपर्क केंद्र विभाग के प्रतिनिधि से बात करने के लिए विकल्प 2 दबाएं।

यदि आप सही तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं

हमारे टेलीफ़ोन क्लेम सेंटर के टोल-फ़्री नंबर **888-209-8124** पर कॉल करें। पहले उपलब्ध भाषाओं के बारे में संदेश सुनें, फिर अपनी भाषा के लिए नंबर दबाएं।